सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2022/36 — दर्ज तिथिः– 26.05.2022

1. भंवरलाल पुत्र स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सजना पत्नी स्व. श्रीचन्द जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सुनिल कुमार पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व. मालाराम जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. चन्दगी पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. सुरेन्द्र पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. सुल्तान पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. होशियारसिंह पुत्र स्व. सुगनाराम जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. हनुमानसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. मंगलसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
8. रणजीतसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
9. केशराराम पुत्र चोखाराम जाति जाट निवासी लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू (राज.)
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज)

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः– श्री संजय सिहाग
अप्रार्थीगण 1, 3 ता 6, 9 जितेन्द्र पूनियां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 05.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अ[illegible] धारा 128 [illegible] भू राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस [illegible] से [illegible] के प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 37/0.5059 हैक्ट. व खसरा संख्या 55/3.5284 [illegible] मौजा लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:46 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमि के चारों तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की भूमि स्थित है अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 प्रार्थीगण के चारों तरफ के पड़ौसी हैं इन लोगों ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि के सीमा चिन्ह मिटा रखे हैं जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य हर समय आपस में सीमा को लेकर तनाव व झगड़ा फसाद होता रहता है।

3. प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को कई बार कहा व कहलवाया कि वो प्रार्थी की कृषि भूमि सीमा चिन्ह नहीं मिटायें परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने तथा उन्होनें दिनांक 10.05.2022 को ऐसा करने से इन्कार हो गये जिस कारण प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन करवा कर पत्थरगढ़ी करवा लेवें जिस हेतु यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

4. प्रार्थीगण की कृषि भूमि चूरू तहसील में स्थित होने के कारण यह प्रार्थना-पत्र हर लिहाज से न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा संख्या 37/0.5059 हैक्ट. व खसरा संख्या 55/3.5284 हैक्ट. रोही मौजा लोहसना बड़ा की चारों सीमाओं का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

5. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 ता 6, 9 की अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पूनियां ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 1 में अंकित तथ्य प्रार्थीगण की कृषि भूमि होना स्वीकार है परन्तु उक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर व माप जानकारी के अभाव में अस्वीकार है प्रार्थीगण स्वयं अपने दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित करें। प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के सीमा चिन्ह मिटाने व सीमा को लेकर हर समय तनाव व झगड़ा होने से तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है प्रार्थीगण व हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमा में पुराने पेड़ खड़े हैं जिस कारण सीमा को लेकर कोई तनाव व झगड़ा होने की सम्भावना नहीं है। प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 3 में अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। विशेष कथनः प्रार्थीगण व हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के मध्य पुख्ता सीम डली हुई है तथा बीच में बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं जिस कारण सीमा चिन्ह मिटाने की कतई कोई सम्भावना नहीं है तथा ना ही सीमा को लेकर कभी कोई विवाद रहा है। अतः जवाब प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मात्र हम अप्रर्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से पेश किया गया होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 2, 7, 8 पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है।

6. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण व हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के मध्य पुख्ता सीम डली हुई है तथा बीच में बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं जिस कारण सीमा चिन्ह मिटाने की कतई कोई सम्भावना नहीं है तथा ना ही सीमा को लेकर कभी कोई विवाद रहा है। अतः जवाब प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मात्र हम अप्रर्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से पेश किया गया होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:46 IST
Reason: SelfAttested

7. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.*** *—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

8. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

9. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 37 / 0.5059 हैक्ट. व खसरा संख्या 55 / 3. 5284 हैक्ट. वाके ग्राम लोहसना बड़ा पटवार मण्डल लोहसना बड़ा तहसील चूरू के खातदेार हैं उक्त भूमि के चारों ओर अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भूमि की सीमाएं पूर्व से ही स्पष्ट हैं तथा बीच–बीच में पेड़ एवं पुख्ता सीम विद्यमान है, परन्तु मात्र इस आधार पर प्रार्थीगण को सीमांकन व पत्थरगड़ी का वैधानिक अधिकार नकारा नहीं जा सकता। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के अंतर्गत खातेदार को अपनी भूमि का सीमांकन करवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त [illegible] से तब जब सीमा को लेकर विवाद अथवा आशंका व्यक्त की गई हो। सीमांकन [illegible] से किसी भी पक्ष के अधिकारों का हनन नहीं होता, बल्कि राज[illegible] स्थिति स्पष्ट होकर भविष्य में संभावित विवाद की संभावना [illegible] प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:46 IST
Reason: SelfAttested

आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 37/0.5059 हैक्ट. व खसरा संख्या 55/3.5284 हैक्ट. वाके ग्राम लोहसना बड़ा पटवार मण्डल लोहसना बड़ा तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:21:46 IST
Reason: SelfAttested